

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या—बजट—02/रा0—2014—2015/ 02 (आवंटन)/रा0, दिनांक 06.05.2014 के अतिरिक्त पत्र संख्या—07/ दिनांक—08.08.2014 द्वारा बजट शीर्ष 2053 जिला प्रशासन 094 अन्य स्थापनाएँ 0008 राजभाषा स्थापना मांग सं0 04 तथा विपत्र कोड एन0 2053000940008 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014—2015 की शेष अवधि के लिये वेतानादि एवं आकस्मिकता मद में आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसे संलग्न विवरणी के अनुसार उपावटित किया जाता है।

1. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 253 वि0 दिनांक 11.03.2014 एवं 687/वि0, दिनांक 24.07.2014 के आलोक में स्वीकृत है।
2. वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि0 दिनांक 16.05.04 के आलोक में वेतन की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है।
3. राशि की निकासी एवं व्ययन की कार्यवाही के क्रम में सेवानिवृत्त/बीमार/मृत/निलंबित कर्मियों के बकाया वेतनादि/सेवान्त लाभ/जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश के अनुपालन को उच्च प्राथमिकता दी जाय।
4. "कार्यालय व्यय" एवं "व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ" ईकाईयों के अन्तर्गत जिला कार्यालयों को आवंटित राशि का उपयोग विभाग के ज्ञापांक 116/रा0 दिनांक 30.05.2008 के आलोक में केवल "उर्दू भाषा प्रशिक्षण केन्द्र" के संचालन के लिए किया जाय। उर्दू प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति और उस पर हुए व्यय की सूचना यथासमय अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय।
5. आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय—समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं विभागीय पत्रांक 538/रा0, दिनांक 30.07.2005 एवं 1007/रा0, दिनांक 06.12.2006 के आलोक में यथासमय कार्यवाही की सूचना सीधे विभाग को भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाय।
6. राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561/वि0, दिनांक 17.04.98 तथा समय—समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी/व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही (जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च) के अन्त में विभागीय फ़ैक्स (0612-2520928) /विशेषदूत/ स्पीड पोस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को विहित प्रपत्र (संख्या—बजट 01/रा0, 2014—15) में विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाए।

8. संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का ईकाईवार आकलन दिनांक 30.08.2014 से पहले निश्चित रूप से कर लिया जाए और आवश्यकता से अधिक/कम राशि रहने की स्थिति में अंतरिम प्रत्यर्पण/अतिरिक्त आवंटन के लिये मांग-पत्र विहित प्रपत्र (सं0-बजट रा0-02/रा0, 2014-2015) में ही भेजा जाए। ताकि अपेक्षित राशि की व्यवस्था यथासमय सुनिश्चित हो सके। दिनांक-30.08.2014 के बाद प्राप्त मांग पत्र पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2015-16 का बजट प्राक्कलन विहित प्रपत्र (सं0-बजट रा0-03/ 2014-15) में तैयार कर दिनांक 25.08.2014 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय। विलम्ब से प्राप्त बजट प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा सकेगा तथा इस से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी आपकी होगी।
10. चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना विहित प्रपत्र (सं0-बजट रा0-04/रा0, 2014-15) में 20 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सके।

अनुलग्नक :- उपावंटन सूची।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...846/स्था0, दिनांक...25/08/14

- प्रतिलिपि :-
1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर/नजारत उप समाहर्ता, मुंगेर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर/धरहरा/जमालपुर /खडगपुर /जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर /जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 2. कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 3. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, (राजभाषा) विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या -बजट-02/रा0-2014-2015/ 02 (आवंटन)/रा0, दिनांक 06.05.2014 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

मुख्य शीर्ष - 2053- जिला प्रशासन - 094- अन्य स्थापनाये - 0008 - राजभाषा स्थापना - मांग सं०- 04 तथा विपत्र कोड - एन० - 2053000940008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 का उपावंटन तालिका।

0 सं०	पदाधिकारियों का नाम	वेतन	मंहगाई भत्ता	भकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	वेतन का योग	यात्रा भत्ता	कार्यालय व्यय	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाये	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्थापना उप समाहर्ता, मुंगेर।	550000.00	550000.00	65000.00	5000.00	1177000.00	3000.00	0.00	0.00	1173000.00
2	नजारत उप समाहर्ता, मुंगेर।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	300.00	2300.00
3	अनु० पदा०, सदर, मुंगेर।	440000.00	440000.00	50000.00	4000.00	934000.00	0.00	0.00	0.00	934000.00
4	प्रखण्ड विकास पदा०, सदर।	310000.00	310000.00	30000.00	3500.00	653500.00	0.00	0.00	0.00	653500.00
5	प्रखण्ड विकास पदा०, जमालपुर	150000.00	150000.00	15000.00	1800.00	316800.00	0.00	0.00	0.00	316800.00
6	प्रखण्ड विकास पदा०, धरहरा।	300000.00	300000.00	15000.00	3300.00	618300.00	0.00	0.00	0.00	618300.00
7	प्रखण्ड विकास पदा०, खडगपुर।	170000.00	170000.00	17000.00	1600.00	358600.00	0.00	0.00	0.00	358600.00
	कुल योग	1920000.00	1920000.00	192000.00	19200.00	4051200.00	3000.00	2000.00	300.00	4056500.00

रवालीस लाख छपन हजार पाँच सौ मात्र

31/07/2014
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।